बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

uploaded 21/04/2014

पत्रांक:-11/विविध-6-26/2013 पटना, दिनांक-

## आदेश

जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज के अधीन वर्ष 2011-12 में एजेन्डा संख्या-113/97 के अंतर्गत पोलड़ाबाड़ी स्थल पर कटाव निरोधक कार्य के लिए श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, न्यू जूट मिल्स गौशाला, कटिहार द्वारा एकरारनाम संख्या-20/एफ-2/2011-12 किया गया था एकरारित राशि-28,95,755 थी।

उक्त कटाव निरोधक कार्य एजेण्डा की अनुशंसा तथा प्राक्कलन में वर्णित विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया । कार्यपालक अभियंता द्वारा अनेकों बार कार्य ठीक कराने अर्थात् विशिष्टि के अनुसार कार्य कराने हेतु संवेदक को निर्देश दिया गया था । इस कार्य पर प्राप्त परिवाद की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी । जाँच प्रतिवेदन में कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया ।

उपरोक्त आरोपों के लिए संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाले जाने हेतु उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-6340 दिनांक-09.12.2013 द्वारा कारण-पृच्छा किया गया । संवेदक द्वारा उनके पत्रांक-शुन्य दिनांक-08.01.14 द्वारा कारण-पृच्छा का जबाब समर्पित करने हेतु पन्द्रह दिनों का समय दिए जाने के अनुरोध के साथ परक्यूपाईन मेम्बर की ढलाई में (1:1.5:3) अनुपात की जगह (1:3.90) अनुपात में बालू पाये जाने संबंधी अभिलेख की मांग की गई, जिसे विभागीय पत्रांक-958 दिनांक-25.02.14 द्वारा संवेदक को भेजते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।

संवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह माना गया कि उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है । कारणपृच्छा के लिए संवेदक को प्रेषित पत्रांक-6340 दिनांक-09.12.13 से संलग्न उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में 6 एम0एम0 व्यास के 20 रिंग लगाया जाना था। लेकिन परक्यूपाईन के एक मेम्बर के कुछ भाग को तोड़वाकर देखने पर औसतन 11 ईचं पर एक स्ट्रिप पाया गया ।जिसके आधार पर एक मेम्बर मे 12 स्ट्रिपस की संख्या आती है । इसके साथ की परक्यूपाईन की ढलाई के संबंध में जाँच हेतु उक्त कार्य के पी0सी0सी0 नमूने की जाँच करायी गयी थी। जाँच में सीमेंट एवं बालू का अनुपात 1:1.5 के बदले 1:3.90 पाया गया । इससे विदित होता है कि संवेदक द्वारा विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया ।

फलत: उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली-2007 के नियम -11(क)(ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली के नियम-11(ग) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, न्यू जूट मिल्स, गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन कोड-854105 के निबंधन संख्या-251/2010(श्रेणी द्वितीय) को काली-सूची में डाला जाता है ।

ह0/-

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

निबंधित

ज्ञापांक-                                        पटना, दिनांक-

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, न्यू जूट मिल्स, गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स, कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिनकोड-854105 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक- 1608                                        पटना, दिनांक- 15.04.14

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण वि भाग, पटना/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजन एवं मोनिटरिंग अंचल 2/3/4,बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, पटना/निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/04/14

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

30

आई0टी0 मैनेजर